फ़र्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ......आशा.... बनाम ......आदि.......

मुकदमा संख्या– 06/2012

12/2	वकील वादिया श्री एम.के. झालानी द्वारा दिनांक 30.01.2012 को राजस्व ग्राम कालवाड़ पटवार हल्का कालवाड़ तह. व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 229 रकबा 9 बीघा भूमि बाबत् घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 पेश की। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 14.05.2014 को जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली कर पत्रावली में तनकी कायम की गई। वकील वादीया द्वारा दिनांक 12.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 पेश कर निवेदन किया की पैरा संख्या 1 में पुराने खसरा नम्बर 229 लिखा है उसके आगे नया खसरा नम्बर 227/1 क्षेत्रफल 1.09 हैक्टैयर माना जाए जो स्वीकार किया गया तथा उसी अनुसार लाल स्याही से वाद दुरूस्त किया गया व पत्रावली वास्ते वादिया साक्ष्य नियत की गई। वकील वादिया द्वारा पेश शपथ पत्र में भी खसरा से संबंधित जानकारी सही नही है तथा खसरा नम्बर 227 भी कटिंग करके लिखा गया है व उसकी रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा अंकित किया है। वकील वादिया ने दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया की वाद के पैरा संख्या 1 में नया खाता संख्या 229 पुराना 217 खसरा नम्बर 227 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा पटवार हल्का कालवाड़ जिला जयपुर दर्ज है जो सहवन से अंकित हो गया है जबकि सही कृषि भूमि खसरा नम्बर 229 रकबा 9 बीघा पटवार हल्का कालवाड़ जिला जयपुर दर्ज किया जाना है, जिसे वकील वादिया द्वारा 08.06.2022 को विड्रो कर किया गया। वकील वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में पुनः दिनांक 06.07.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में नया खाता संख्या 229 पुराना 217 खसरा नम्बर 227 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा पटवार हल्का कालवाड़ जिला जयपुर दर्ज है जो सहवन से अंकित हो गया है जबकि सही कृषि भूमि खसरा नम्बर 229 पटवार हल्का कालवाड़ जिला जयपुर दर्ज किया जाना है जो जमाबंदी 2076 के अनुसार खसरा नम्बर 229 रकबा 1.3532 हैक्टैयर व 229/2 रकबा 0.8852 हैक्टैयर व 229/3 रकबा 0.0379 जो कुल 2.2763 हैक्टैयर है। वकील वादिया द्वारा पूर्व में पेश जमाबंदी व नवीन जमाबंदी का मनन कर पाया कि दोनों जमाबन्दियों में खातेदार अलग–अलग है व वर्तमान जमाबंदी के खातेदार इस वाद में पक्षकार भी नहीं है। वकील वादिया द्वारा वाद 2012 में पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा पत्रावली का [illegible] यह तथ्य सामने आये कि वकील वादिया द्वारा अब तक यह स्पष्ट नही किया जा सका कि विवादग्रस्त भू... के खसरा नम्बर कौनसे है, रकबा क्या है व उसके अनुसार किस–किस पक्षकार को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। वकील वादिया द्वारा करवाए गए साक्ष्य भी अलग खसरा नम्बरान् बावत् है। वकील वादीया द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी लगा कर स्वयं/ न्यायालय/पक्षकारों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:12:17 IST
Reason: SelfAttested

अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान .... बनाम ....

मुकदमा संख्या– 06/2012

का कीमती समय जाया कर रहें है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह पाता है कि यदि 10 सालों में वकील वादिया यह ही मालूम नही कर पाए कि उनका वाद किस भूमि बाबत् है व उसके अनुसार न ही उन्होनें आवश्यक पक्षकार को प्रतिवादी रूप में संयोजित किया व वादीया साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत बयान किसी और खसरा नम्बर बाबत् है तो न्यायलय द्वारा वाजिब अनुतोष प्रदान करना संभव नही होगा। खसरा नम्बर व पक्षकारों बाबत् इतनी असंमजस की स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाया जाना उचित नही है। अतः यह न्यायालय धारा 151 सी.पी.सी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुऐ वादिया को सही खसरा नम्बर व पक्षकारों, दस्तावेजों के साथ वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये इस वाद को खारिज करता है।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:12:17 IST
Reason: SelfAttested